सत.-01-01/2021-सतर्कता-डीओपी

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 26.11.2021

सेवा में,

सभी सर्कलों के अध्यक्ष

विषय : "लोकहित प्रकटन तथा मुखबिरों की सुरक्षा" (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत प्रेषक की पहचान उजागर न करना।

महोदय/महोदया,

मुझे, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अ.शा. पत्र सं. कॉन्फ./मिस./21/02 दिनांक 17.11.2021 तथा पीओ डिवीजन के कार्यालयी पत्र सं. 31-01/2021-पीओ दिनांक 03.03.2021 तथा 03.11.2021 (प्रतियां संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके तहत सभी सर्कलों के अध्यक्षों को अनुदेश जारी किए गए थे कि सीवीसी को संबोधित तथा 'पीआईडीपीआई' अथवा "लोकहित प्रकटन तथा मुखबिरों की सुरक्षा" लिखे लिफाफों को स्वीकार करते समय प्रेषक का नाम और पता लिखने पर जोर न दिया जाए।

2. यह पाया गया है कि उपर्युक्त अनुदेश उन सभी कर्मियों तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट वस्तुओं की बुकिंग करते हैं। इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने उपर्युक्त अनुदेशों के कार्यान्वयन में इस कमी को रेखांकित करते हुए चिंता जताई है।

3. अत: ये अनुदेश दोहराए जाते हैं कि सभी कार्मिकों को जागरुक किया जाए कि वे सीवीसी को भेजे जा रहे 'पीआईडीपीआई' या "लोकहित प्रकटन तथा मुखबिरों की सुरक्षा" अंकित लिफाफे स्वीकार करते समय प्रेषक का नाम और पता लिखने पर जोर न दें और पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट डाक वस्तु की बुकिंग करते समय नाम और पते के स्थान पर 'पीआईडीपीआई' अंकित करें। यह भी अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी डाकघरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर संबंधित पोस्टर (प्रति संलग्न) लगवाएं। यह भी सुझाव दिया जाता है कि शाखा डाकघरों तथा छोटे डाकघरों में ये पोस्टर ए-4 साइज के कागज पर मुद्रित कर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किए जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा में अनूदित अनुदेशों का सर्कलों की वेबसाइट तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक

प्रचार-प्रसार किया जाए। डाक प्रशिक्षण केन्द्रों को भी अनुदेश दिए जाएं कि वे इन्हें, विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूलों में शामिल करें।

4. इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

इसे महानिदेशक (डाक सेवाएं) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

जगदीप

(जगदीप गुप्ता)
निदेशक (सतर्कता)

प्रतिलिपि

1. सभी निदेशक, पीटीसी को इन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूलों में शामिल करने हेतु।
2. उप महानिदेशक (डाक प्रचालन) को सूचनार्थ।
3. सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सूचनार्थ।